



छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक
संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा

दशम् सत्र

अंक-12

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 9 मार्च, 2021

(फाल्गुन 18, शक संवत् 1942)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे सम्मवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

1. जन्म दिवस की बधाई

माननीय अध्यक्ष ने श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य को जन्म दिवस के अवसर पर अपनी ओर से एवं सदन की ओर से शुभकामनाएं दी तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

2. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 11 एवं 14 (कुल 12) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

तारांकित प्रश्न संख्या 6 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री अरुण वोरा के स्थान पर श्री मोहन मरकाम, सदस्य अधिकृत रहे ।

तारांकित प्रश्न संख्या 12 एवं 13 के प्रश्नकर्ता सदस्य क्रमशः सर्वश्री केशव प्रसाद चन्द्रा एवं चंदन कश्यप अनुपस्थित रहे ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 30 तारांकित एवं 52 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

3. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या- 3 पर चर्चा के दौरान श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया ।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

- (1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 105 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन 2020,
- (2) डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (क्रमांक 42 सन् 2005) की धारा 12 की उपधारा (3) के पद (च) की अपेक्षानुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20,
- (3) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 तथा 2019-20, तथा
- (4) श्रीमती अनिला भेंडिया, समाज कल्याण मंत्री ने कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम, रायपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 एवं 2019-20,

पटल पर रखे ।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए।)

5. पृच्छा

सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों ने जिला दुर्ग के पाटन विधानसभा क्षेत्र में हत्या व दुष्कर्म की घटना संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की।

माननीय उपाध्यक्ष ने कथन किया कि आपकी स्थगन प्रस्ताव की सूचना अग्राह्य कर दी गई है ।

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई ।)

6. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि -आज की कार्य-सूची में 19 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक-22 (6) के तहत शामिल किया गया है। इनमें से क्रमशः प्रथम दो ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़े जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे । उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनायें संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी। संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है ।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई ।)

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य गर्भगृह में आये ।)

7. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि-विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 (1) के अधीन निम्नलिखित सदस्य सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गये हैं :-

श्री धरमलाल कौशिक, डॉ.रमन सिंह, सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, पुन्नूलाल मोहले, अजय चन्द्राकर, नारायण चन्देल, शिवरतन शर्मा, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, सर्वश्री सौरभ सिंह, डमरूधर पुजारी, विद्यारतन भसीन, रजनीश कुमार सिंह एवं श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू ।

माननीय उपाध्यक्ष ने निलंबित सदस्यों से आग्रह किया कि वे सभा भवन से बाहर चले जायें । निलंबन अवधि का निर्धारण वे पश्चात करेंगे ।

(निरंतर व्यवधान होने के कारण सदन की कार्यवाही 12.31 बजे स्थगित की जाकर 12.46 बजे समवेत हुई।)

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

8. निलंबन अवधि की समाप्ति

माननीय सभापति ने नियम 250 (1) के अधीन निलंबित माननीय सदस्यों की निलंबन अवधि समाप्त करने की घोषणा की।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने पुनः स्थगन पर चर्चा कराये जाने की मांग की ।

9. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमशः)

- (1) सर्वश्री शिवरतन शर्मा, धरमलाल कौशिक, डॉ. रमन सिंह, (अनुपस्थित) सदस्यों की सूचना- प्रस्तुत नहीं हुई ।
- (2) सर्वश्री सौरभ सिंह, (अनुपस्थित) कुलदीप जुनेजा, सदस्य ने प्रदेश में राजीव गांधी शिक्षा मिशन अंतर्गत समग्र शिक्षा अभियान में अनियमितता किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य गर्भगृह में आये ।)

10. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि-विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 (1) के अधीन निम्नलिखित सदस्य सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गये हैं :-

श्री धरमलाल कौशिक, सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, पुन्नूलाल मोहले, अजय चन्द्राकर, नारायण चन्देल, शिवरतन शर्मा, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, सर्वश्री सौरभ सिंह, डमरूधर पुजारी, विद्यारतन भसीन, रजनीश कुमार सिंह एवं श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू ।

माननीय सभापति ने निलंबित सदस्यों से आग्रह किया कि वे सभा भवन से बाहर चले जायें । निलंबन अवधि का निर्धारण वे पश्चात करेंगे ।

11. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमशः)

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

माननीय सभापति की घोषणानुसार कार्यसूची के पद 3 के उप पद (3) से (19) तक सूचना देने वाले सदस्यों के नाम पुकारूंगा, उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े हुए माने जायेंगे :-

- 08. श्री प्रकाश शक्राजीत नायक
- 09. श्री कुलदीप जुनेजा
- 10. श्री सत्यनारायण शर्मा
- 11. श्री प्रकाश शक्राजीत नायक
- 14. श्री संतराम नेताम

12. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय सभापति की घोषणानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गई :-

- (1) श्री बघेल लखेश्वर
- (2) श्री प्रकाश शक्राजीत नायक

13. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

- (1) श्री लखेश्वर बघेल, सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति ने समिति के चतुर्थ, पंचम, षष्ठम् एवं सप्तम् प्रतिवेदन,
- (2) श्री कुलदीप जुनेजा, सभापति, शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति ने समिति के सप्तम्, अष्टम् एवं नवम्, प्रतिवेदन प्रस्तुत किये ।

14. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय सभापति की घोषणानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की याचिकाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गई :-

- (1) श्री बघेल लखेश्वर
- (2) श्री पुरुषोत्तम कंवर
- (3) श्रीमती इन्दू बंजारे
- (4) श्रीमती संगीता सिन्हा
- (5) श्रीमती छन्नी चंदू साहू

15. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 4 सन् 2021)

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 4 सन् 2021) पुरःस्थापित किया ।

(2) बन्दी (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 2 सन् 2021)

श्री ताम्रध्वज साहू, जेल मंत्री ने बन्दी (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 2 सन् 2021) पुरःस्थापित किया ।

(निरंतर व्यवधान होने के कारण सदन की कार्यवाही 1.00 बजे स्थगित की जाकर 1.11 बजे समवेत हुई।)

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

(3) छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक -2) विधेयक, 2021 (क्रमांक 3 सन् 2021)

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक -2) विधेयक, 2021 (क्रमांक 3 सन् 2021) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री मोहन मरकाम, श्रीमती इन्दू बंजारे, श्री प्रकाश शक्राजीत नायक

(सभापति महोदय (श्री बघेल लखेश्वर) पीठासीन हुए।)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव, डॉ. विनय जायसवाल

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

श्री के.के.ध्रुव, श्रीमती संगीता सिन्हा, श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा, सर्वश्री रामकुमार यादव, आशीष कुमार छाबड़ा, शैलेश पाण्डेय,

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खंड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक -2) विधेयक, 2021 (क्रमांक 3 सन् 2021) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(4) छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 4 सन् 2021)

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 4 सन् 2021) पर विचार किया जाये एवं संक्षिप्त भाषण दिया ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 4 सन् 2021) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(5) बन्दी (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 2 सन् 2021)

श्री ताम्रध्वज साहू, जेल मंत्री ने प्रस्ताव किया कि बन्दी (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 2 सन् 2021) पर विचार किया जाये एवं संक्षिप्त भाषण दिया ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खंड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री ताम्रध्वज साहू, जेल मंत्री ने बन्दी (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 2 सन् 2021) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

16. समितियों का निर्वाचन

लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति के लिए नौ-नौ सदस्यों का निर्वाचन

माननीय अध्यक्ष ने सूचित किया कि लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति के लिए क्रमशः नौ-नौ उम्मीदवारों के नाम निर्देशन प्रपत्र प्राप्त हुए हैं, चूंकि चारों समितियों के लिए क्रमशः नौ-नौ सदस्य ही निर्वाचित किये जाना है, तदनुसार निम्नानुसार सदस्यों को उक्त समितियों के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन उक्त समिति के सभापति को नियुक्त करता हूं:-

लोक लेखा समिति

1. श्री सत्यनारायण शर्मा
2. श्री धनेन्द्र साहू
3. श्री शैलेश पाण्डे
4. श्री प्रकाश शक्राजीत नायक
5. श्री मोहन मरकाम
6. श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल
7. डॉ. लक्ष्मी ध्रुव
8. श्री अजय चन्द्राकर

9. श्री शिवरतन शर्मा

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

प्राक्कलन समिति

1. श्री मोहन मरकाम
2. डॉ. विनय जायसवाल
3. श्री आशीष कुमार छाबड़ा
4. श्री विक्रम मंडावी
5. श्रीमती संगीता सिन्हा
6. श्री गुलाब कमरो
7. श्री शैलेश पाण्डे
8. श्री पुन्नूलाल मोहले
9. श्री रजनीश कुमार सिंह

श्री मोहन मरकाम, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

1. श्री सत्यनारायण शर्मा
2. श्री मोहन मरकाम
3. श्री धनेन्द्र साहू
4. श्री बघेल लखेश्वर
5. श्री कुलदीप जुनेजा
6. श्री राजमन बेंजाम
7. श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा
8. श्री बृजमोहन अग्रवाल
9. श्री नारायण चंदेल

श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति

1. श्री बघेल लखेश्वर
2. श्री बृहस्पत सिंह
3. श्रीमती देवती कर्मा
4. डॉ. लक्ष्मी ध्रुव
5. श्री पुरुषोत्तम कंवर
6. श्री रामकुमार यादव
7. श्रीमती संगीता सिन्हा
8. श्री डमरूधर पुजारी
9. श्री सौरभ सिंह

श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

17. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए नौ सदस्यों का निर्वाचन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए नौ उम्मीदवारों के नाम निर्देशन प्रपत्र प्राप्त हुए हैं, चूंकि समिति के लिए नौ सदस्य ही निर्वाचित किए जाना हैं, तदनुसार निम्नानुसार सदस्यों को उक्त समिति के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन उक्त समिति के सभापति को नियुक्त करता हूं:-

1. श्री मोहन मरकाम
2. श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े
3. श्री प्रकाश शक्राजीत नायक
4. श्री भुनेश्वर शोभा राम बघेल
5. श्री मोहित राम
6. श्रीमती छन्नी चंदू साहू
7. श्री रामकुमार यादव
8. डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी

9. श्री डमरूधर पुजारी

श्री मोहन मरकाम, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

18. नाम निर्देशित समितियों का गठन

माननीय अध्यक्ष ने सूचित किया कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 203 के उप नियम (1), 208 के उप नियम (1), 213, 217 के उप नियम (1), 224 के उप नियम (2), 225 के उप नियम (1), 231 के उप नियम (2), 232 के उप नियम (1), 233 के उप नियम (1), 234-(ग), 234-घ के उप नियम (2) एवं 234-ज के उप नियम (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं निम्नानुसार समितियों के लिए सदस्यों को वर्ष 2021-2022 की अवधि में सेवा करने के लिये तथा नियमावली के नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन समितियों में उनके सभापतियों को नियुक्त करता हूँ :-

कार्य मंत्रणा समिति

1. श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री
2. श्री टी.एस.सिंहदेव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री
3. श्री ताम्रध्वज साहू, गृहमंत्री
4. श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री
5. श्री मोहम्मद अकबर, विधि मंत्री
6. डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन मंत्री
7. श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष, विधान सभा
8. डॉ. रमन सिंह

विशेष आमंत्रित सदस्य :-

1. श्री मनोज सिंह मंडावी, उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा
2. श्री सत्यनारायण शर्मा
3. श्री धनेन्द्र साहू

4. श्री बृजमोहन अग्रवाल
5. श्री धर्मजीत सिंह

अध्यक्ष, विधान सभा इस समिति के पदेन सभापति होंगे।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति-

1. श्री धनेन्द्र साहू
2. श्री बृहस्पत सिंह
3. श्रीमती संगीता सिन्हा
4. श्री विक्रम मंडावी
5. डॉ. विनय जायसवाल
6. श्री नारायण चंदेल
7. श्री विद्यारतन भसीन

श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया ।

याचिका समिति-

1. श्री अरूण वोरा
2. श्री कुलदीप जुनेजा
3. श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल
4. डॉ. लक्ष्मी ध्रुव
5. श्री प्रकाश शक्राजीत नायक
6. श्री केशव प्रसाद चन्द्रा
7. श्री सौरभ सिंह

श्री अरूण वोरा, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया ।

प्रत्यायुक्त विधान समिति-

1. श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह
2. श्री राम पुकार सिंह ठाकुर
3. श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े
4. श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा
5. श्री संतराम नेताम
6. श्री पुन्नूलाल मोहले
7. श्री देवव्रत सिंह

श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया ।

शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति-

1. श्री कुलदीप जुनेजा
2. श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह
3. श्री लालजीत सिंह राठिया
4. श्री पुरुषोत्तम कंवर
5. श्री शैलेश पाण्डे
6. डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी
7. श्री डमरूधर पुजारी

श्री कुलदीप जुनेजा, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

विशेषाधिकार समिति-

1. श्री मोहन मरकाम
2. श्री अमितेश शुक्ल
3. श्री अरुण वोरा
4. श्री आशीष कुमार छाबड़ा
5. श्री राजमन बेंजाम

6. डॉ. रमन सिंह
7. श्री बृजमोहन अग्रवाल

श्री मोहन मरकाम, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया ।

नियम समिति-

1. श्री खेलसाय सिंह
2. श्री सत्यनारायण शर्मा
3. श्री धनेन्द्र साहू
4. श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष
5. श्री ननकी राम कंवर

अध्यक्ष, विधान सभा इस समिति के पदेन सभापति तथा माननीय विधि मंत्री, इस समिति के पदेन सदस्य होंगे।

सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति-

1. श्री रामपुकार सिंह ठाकुर
2. श्री बघेल लखेश्वर
3. श्री लालजीत सिंह राठिया
4. श्री आशीष कुमार छाबड़ा
5. श्री देवेन्द्र यादव
6. डॉ. लक्ष्मी ध्रुव
7. श्री अजय चन्द्राकर
8. श्री शिवरतन शर्मा
9. श्री धर्मजीत सिंह

श्री रामपुकार सिंह ठाकुर, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया ।

पुस्तकालय समिति-

1. श्री खेलसाय सिंह
2. श्री देवेन्द्र यादव
3. श्री शैलेश पाण्डे
4. श्रीमती ममता चन्द्राकर
5. श्री रामकुमार यादव
6. श्री रजनीश कुमार सिंह
7. श्री प्रमोद कुमार शर्मा
8. श्रीमती इंदू बंजारे

श्री खेलसाय सिंह, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया ।

पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति-

1. डॉ. प्रीतम राम
2. श्री चक्रधर सिंह सिदार
3. श्री विक्रम मंडावी
4. श्री विनय भगत
5. श्री मोहित राम
6. श्री ननकी राम कंवर
7. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू

डॉ. प्रीतम राम, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

प्रश्न एवं संदर्भ समिति-

1. श्री दलेश्वर साहू
2. श्री कुलदीप जुनेजा
3. श्री अनूप नाग
4. श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा

5. श्री गुलाब कमरो
6. श्री अजय चन्द्राकर
7. श्री शिवरतन शर्मा

श्री दलेश्वर साहू, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया ।

आचरण समिति-

1. श्री किस्मत लाल नंद
2. श्री अनूप नाग
3. श्री राजमन बेंजाम
4. श्रीमती छन्नी चन्दू साहू
5. श्री चंदन कश्यप
6. डॉ. रमन सिंह

अध्यक्ष, विधान सभा इस समिति के पदेन सभापति तथा माननीय मुख्यमंत्री व माननीय नेता प्रतिपक्ष समिति के पदेन सदस्य होंगे।

19.महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति का गठन

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234-च के उप नियम (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति के लिए सदस्यों को वर्ष 2021-2023 की अवधि में सेवा करने के लिए नाम-निर्दिष्ट तथा नियमावली के नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन समिति के सभापति को नियुक्त करता हूँ:-

1. डॉ. लक्ष्मी ध्रुव
2. श्री लालजीत सिंह राठिया
3. श्री संतराम नेताम
4. श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा
5. श्रीमती ममता चन्द्राकर

6. श्रीमती छन्नी चन्दू साहू
7. श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल
8. डॉ. रेणु अजीत जोगी
9. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया ।

20. प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री मोहन मरकाम, सभापति, विशेषाधिकार समिति ने छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम-228 के उप नियम (1) के अंतर्गत प्रस्ताव किया कि माननीय सदस्य श्री धर्मजीत सिंह, छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर के विरुद्ध समिति को संदर्भित विशेषाधिकार हनन की सूचना दिनांक 28.11.2019 पर जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

21. नियम 169 के अंतर्गत सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि श्री धनेन्द्र साहू द्वारा श्री कुंभन दास अडिया एवं श्री अमरीश अडिया के विरुद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन की सूचना क्रमांक 24/2020 दिनांक 10 नवम्बर, 2020 को जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु विशेषाधिकार समिति को संदर्भित किया है ।

22. नियम 239 के अंतर्गत विचाराधीन सूचनाएं

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि :-

- (1) श्री अजय चन्द्राकर एवं श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा माननीय सदस्य श्री अमरजीत भगत, खाद्य मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन एवं माननीय श्री रविन्द्र चौबे, कृषि मंत्री,

छत्तीसगढ़ शासन के विरुद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना क्रमांक 19/2020 दिनांक 19.08.2020 ।

- (2) माननीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर एवं श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा माननीय श्री ताम्रध्वज साहू, लोक निर्माण मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन के विरुद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना क्रमांक 23/2020 दिनांक 23.10.2020 ।

मेरे समक्ष विचाराधीन है ।

23. नियम 167 (1) के अंतर्गत अग्राह्य की सूचनाएं

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि :-

- (1) श्री अजय चन्द्राकर, श्री बृजमोहन अग्रवाल, श्री शिवरतन शर्मा एवं श्री नारायण चंदेल द्वारा माननीय सदस्य श्री शैलेश पांडे के साथ घटित दुर्व्यवहार के संबंध में प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन की सूचना क्रमांक 26/2021 दिनांक 16 फरवरी, 2021 ।
- (2) श्री अजय चन्द्राकर, श्री शिवरतन शर्मा एवं श्री नारायण चंदेल द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के विरुद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन की सूचना क्रमांक 27/2021 दिनांक 16 फरवरी, 2021 को

विचारोपरांत मैंने अपने कक्ष में अग्राह्य कर दिया है ।

24. उत्कृष्टता पुरस्कार की घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित कि वर्ष 2019 एवं 2020 के उत्कृष्ट विधायक, उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार एवं उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर के रूप में निम्नांकित माननीय सदस्यों एवं पत्रकारों का चयन किया गया है :-

वर्ष 2019 के लिए :-

उत्कृष्ट विधायक के रूप में

- | | | |
|------------------|---|----------------|
| 1. सत्ता पक्ष से | - | श्री अरूण वोरा |
| 2. प्रतिपक्ष से | - | श्री सौरभ सिंह |

उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार के रूप में

श्री सुरेन्द्र शुक्ला, संवाददाता, हरिभूमि

उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर के रूप में

श्री मोहन तिवारी, संवाददाता-बंसल न्यूज एवं

श्री दीपक साहू, कैमरामेन

वर्ष 2020 के लिए :-

उत्कृष्ट विधायक के रूप में

- | | | |
|------------------|---|--------------------|
| 1. सत्ता पक्ष से | - | श्री कुलदीप जुनेजा |
| 2. प्रतिपक्ष से | - | श्री नारायण चंदेल |

उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार के रूप में

श्री राजा दास, संवाददाता-द हितवाद

उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर के रूप में

श्री आर.के. गांधी, संवाददाता-साधना न्यूज

श्री दिलीप कुमार सिन्हा, कैमरामेन

माननीय अध्यक्ष ने अपनी ओर से एवं सदन की ओर से चयनीत माननीय सदस्यों एवं पत्रकारों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी ।

25. निलंबन अवधि की समाप्ति

माननीय अध्यक्ष ने नियम 250 (1) के अधीन निलंबित माननीय सदस्यों की निलंबन अवधि समाप्त करने की घोषणा की।

26. सत्र का समापन

अध्यक्षीय उद्बोधन

माननीय सदस्यगण, बजट सत्र 2021 का निर्धारित अवधि के पूर्व आज समापन हो रहा है। मेरा सभी माननीय सदस्यों से यह विनम्र आग्रह है कि इस सत्र में सदन में चर्चा के दौरान

आरोप-प्रत्यारोप, गतिरोध और आक्रोश के गुजरे पलों को भूल कर सदन को इन परिस्थितियों से बचाने का प्रयास करें और इस बात का विशेष रूप से विचार करें कि हमें प्रदेश की जनता ने अपना प्रतिनिधि बनाकर यहां बैठाया है। उनका हित और उनका कल्याण ही हमारा प्रथम और अंतिम लक्ष्य होना चाहिए।

आपने सदन संचालन का दायित्व मुझे सौंपा है, मैं भी आप ही की तरह इस सदन का एक सदस्य ही हूँ, मेरी भी भावनाएं हैं, मेरे भी विचार हैं।

आप माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि संसदीय सदन की सर्वोच्चता के लिए आसंदी के प्रति सम्मान और विश्वास का भाव बना रहना अत्यंत आवश्यक है। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, प्रतिष्ठा और द्वेष से सदन को मुक्त रख कर ही हम संसदीय लोकतंत्र की सार्थकता को सिद्ध कर सकते हैं।

मेरा यह विश्वास है कि हमें अपने जीवन में सदैव आशावादी और सकारात्मक दृष्टिकोण को बनाये रखते हुए बेहतर कल की अपेक्षा से आगे बढ़ना चाहिए। परिस्थितिजन्य कारणों से भले ही इस बजट सत्र में विषम स्थिति निर्मित हुई परन्तु यह भी सत्य है कि हमारी संसदीय संस्कारों की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि हम इन परिस्थितियों से भी आगे निकलकर संसदीय मूल्यों को किन्हीं भी परिस्थितियों में भविष्य में प्रभावित नहीं होने देने का संकल्प लें।

इस सत्र के समापन अवसर पर मैं सर्वप्रथम सदन के नेता, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय उपाध्यक्ष, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (J) के नेता श्री धर्मजीत सिंह एवं बहुजन समाज पार्टी विधायक दल के नेता श्री केशव चंद्रा, सभापति तालिका के माननीय सदस्य सहित समस्त माननीय सदस्यों के प्रति इस सत्र के सुव्यवस्थित संचालन में सहभागिता और सहयोग के लिये मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।

इस अवसर पर मैं सम्माननीय पत्रकार साथियों तथा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बड़ी गंभीरता से प्रचार माध्यमों में प्रमुखता से स्थान देकर प्रदेश की जनता को सभा में सम्पादित कार्यवाही से अवगत कराया। इस सत्र समापन अवसर पर मैं राज्य शासन के मुख्य सचिव सहित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देता हूँ, सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई देता हूँ जिन्होंने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था इस बजट सत्र के दौरान कायम रखी। मैं विधान सभा के प्रमुख

सचिव सहित सचिवालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भी प्रशंसा करता हूँ, जिन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण कुशलता एवं निष्ठा के साथ किया।

आज प्रदेश और देश कोविड के गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है। सदन के माननीय सदस्य श्री टी.एस. सिंहदेव जी माननीय श्री जयसिंह अग्रवाल जी, माननीय श्री अरूण वोरा जी, माननीय श्री देवव्रत सिंह जी मौजूदा सत्र अवधि में ही कोविड संक्रमित हुए हैं, ईश्वर से कामना है कि वे जल्द ही संक्रमण मुक्त हों, स्वस्थ हों और आप सब भी सुरक्षित और स्वस्थ रहें।

सत्र समापन अवसर पर आगामी सत्र की तिथियों की घोषणा की परंपरा रही है तदनुसार आगामी सत्र जुलाई माह के अंतिम सप्ताह में आहूत होने की संभावना है। आने वाले पर्व होली, हिन्दु नव वर्ष एवं चैत्र नवरात्रि की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। आईये, हम सब मिलकर अपने छत्तीसगढ़ राज्य को समग्र उन्नति के शीर्ष पर पहुंचाने का पुनीत संकल्प लें।

जय हिन्द, जय छत्तीसगढ़ ।

धन्यवाद ।

27. राष्ट्रगान

(राष्ट्रगान "जन-गण-मन" का गायन किया गया।)

(सायं 4.31 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित की गई।)

चन्द्र शेखर गंगराडे
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा